

तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12-3-20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थना उपस्थित, विपक्षी सं. 1, 3, 4 के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ किये गये। विपक्षी सं. 1, 3, 4 को कितनी मर्तिवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इसके छिद्र एक तरफा कार्यवाही दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं, बास्ते पत्रावली विपक्षी सं. 2 के सम्मन शामिल देवने व मौका डिपॉजिट में देवने हेतु तहसीलदार मॉडल को लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 9-4-20 को पेश हो।

9-4-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठारीय अधिकारी राजकीय कार्य के सम्मन हैं। अवकाश पत्र है / उपस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 7-5-20 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नाण्डव

7-5-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठारीय अधिकारी राजकीय कार्य के सम्मन हैं। अवकाश पत्र है / उपस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 28-5-20 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नाण्डव

28-5-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठारीय अधिकारी राजकीय कार्य के सम्मन हैं। अवकाश पत्र है / उपस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 13-8-20 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी नाण्डव

13-8-20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थना उपस्थित वकील प्रार्थना 8 प्रार्थना सं. 2 के छिद्र कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तहसीलदार मॉडल से मौका डिपॉजिट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, पूर्व में सीमा खान नहीं कराया गया। वकील प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फॉर्मल नुमा होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी नाण्डव



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:- 192/19 प्रा. पत्र

श्री शंभू लाल शंखी मौरव दौनी निवासी-अमरगढ़ तहसील-भाण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री चौधू शंखी गणेश कीर निवासी-सुरास तहसील-भाण्डल [कर्ग] (सिद्धांकित प्रा.पत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके खते /संयुक्त खाते का आराजी नं. 1656 कुल किता 01 रकबा 04 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-11-19 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके खते/संयुक्त खाते का आराजी नं. 1656 कुल किता 01 रकबा 04 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भेजा 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा